राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण कमांक : 830 / II / 2012 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर

26.6.2014 यह निगरानी कलेक्टर जिला छतरपुर व्दारा प्रकरण कमांक 142/बी 121/10–11 में पारित आदेश दिनांक 3–1–12 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के प्रारंभिक तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया ।

3/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्कों में बताया कि ग्राम सौरा की भूमि सर्वे नंबर 1841 आवेदक के स्वत्व एंव स्वामित्व की है । बंदोवस्त के दौरान के नक्शे में सर्वे नंबर 1831 एंव 1840 के बीच कोई मेढ़ या सीमा रेखा नहीं है और न ही वर्तमान नक्शे में है । आवेदक ने सीमांकन का आवेदन प्रस्तुत किया जिस राजस्व निरीक्षक एंव हलका पटवारी ने भूमि सर्वे नंबर 1840 एंव 1831 के बीच पेन्सिल तरमीम करके दोनों सर्वे नंबरों के बीच में लाईन डालने से आवेदक का रकबा 0.195 कम कर दिया गया और कलेक्टर छतरपुर व्दारा वास्तविकता जाने बिना दोनों खसरा नंबरों के बीच सरहदी ग्राम नारायणपुरा जाने के लिये रास्ता बनाने से आवेदक की भूमि कम होना मानते हुये कम हुये रकबे को ठीक करने का आवेदन निरस्त करने में त्रृटि की है इसलिये निगरानी स्वीकार की जाकर आवेदक का रकबा पूर्ण किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें।

अनावेदक के अभिभाषक ने बताया कि दोनों खसरा नंबरों के बीच में बंदोवस्त के पूर्व से ही आवेदक के खेत के रकबा 0.195 का रकबा ग्राम नारायणपुरा जाने के लिये रास्ते का है जिसके कारण कलेक्टर का आदेश सही है उन्होंने निगरानी निरस्त करने की प्रार्थना की।

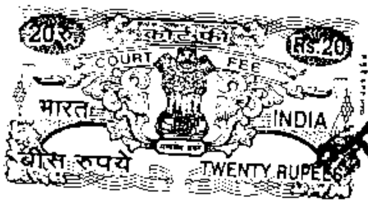
20₹
कोर्ट फीस
COURT FEE
Rs.20
भारत
INDIA
बीस रुपये
TWENTY RUPEES

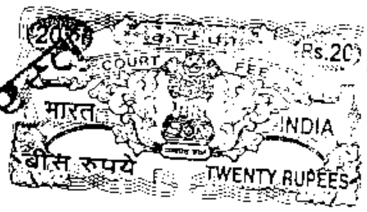
कोर्ट फीस
COURT FEE
Rs.20
भारत
INDIA
बीस रुपये
TWENTY RUPEES

R 830 II/12